

कार्यालय प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: आदेश :-

क्रमांक-349/दो-12-25/71

दमोह, दिनांक 26 अगस्त 2025

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 के पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3209/तीन-17-79/18 जबलपुर दिनांक 17.08.2020 एवं ज्ञापन क्रमांक बी/4754/चार-3-1/65 (गार्डलाईन), जबलपुर दिनांक 14.12.2020 में प्रसारित दिशा-निर्देश अनुसार, इस स्थापना पर **कार्यरत आकस्मिकता निधि से प्रभारित (कंटीजेन्ट) वेतन भोगी भृत्य/चौकीदार/जलवाहक प्रवर्ग** के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को **नियमित चतुर्थ श्रेणी भृत्य संवर्ग** के रिक्त पद वेतनमान 4440-7440+1300/- ग्रेडपे पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-1 वेतनमान 15500-49000/- में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी व स्थानापन्न रूप से नीचे वर्णित शर्तों के अधीन, **पदोन्नति/नियमितीकरण** किया जाता है-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पदोन्नति/नियमितीकरण का पद
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती ऋतु तिवारी	नियमित भृत्य
2	श्री संदीप शर्मा	नियमित भृत्य

--: शर्तें :-

1. जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रतिकूल होने की दशा में पदोन्नति/नियमितीकरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. आचरण, नियंत्रण एवं अनुशासन के संबंध में मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध-स्थायी) सेवा नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम-1966, यथास्थिति, लागू होंगे।
3. पदोन्नति/नियमितीकरण के पद पर कार्यभार ग्रहण काल मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के नियम-17 के अनुसार रहेगा। पदोन्नति/नियमितीकरण आदेश प्रेषित किये जाने की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के नियम-6 के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर अर्थात् 26.01.2001 के पश्चात् जन्म हुई 2 से अधिक संतान पाये जाने की दशा में सेवायें तत्काल समाप्त की जावेंगी।
5. सेवायें सदैव शासनाधीन हैं, किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं।
6. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
7. एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त देय रकम भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

8. बिना अनुमति किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
9. नियुक्ति पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेंगे।
10. प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी।
11. प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
12. अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तर हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानान्तरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
13. नियुक्ति आदेश की समस्त शर्तें बाध्यकारी हैं और भविष्य में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, मध्यप्रदेश राज्य शासन, कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेश एवं निर्देश मान्य होंगे।

Sd/-
प्रिंसिपल जिला एव सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांक. 2922 / दो-12-25 / 71

दमोह, दिनांक 20. अगस्त, 2025

प्रतिलिपि :-

1. जिला कोषालय अधिकारी, दमोह
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, सिविल कोर्ट दमोह
3. श्रीमती ऋतु तिवारी, आक. निधि प्रभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दमोह
4. श्री संदीप शर्मा, आक. निधि प्रभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दमोह
5. सिस्टम ऑफिसर/लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/ऑफिस मोहरर/एच.एम. आर.एस.लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते-प्रिंसिपल जिला एव सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)